## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 927 / 2024
अनवान : –

1– शान्ति पत्नी बेगराज जाति नायक निवासी ढ़ाणी मोधूवाली तहसील नोहर ।

—— **वादीया**

**बनाम**

1– भुरी देवी पत्नी सुलतान जाति नायक निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी ।
2– मेघराज पुत्र सुलतान जाति नायक निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3– मोमन पुत्र सुलतान जाति नायक निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4– रामेश्वरी पुत्री सुलतान जाति नायक निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी।
5– बादो पुत्री सुलतान जाति नायक निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
6– सरबती पुत्री सुलतान जाति नायक निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
7– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

—— **प्रतिवादीगण**

**दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955**

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
**पेरोकार राज**

**निर्णय** दिनांक: – 26/12/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 19 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 97 / 82 के कुल खसरे 8 की कुल तादादी 1.6990 है0 भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त समस्त भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम दर्ज है तथा वादीया प्रतिवादीया संख्या 1 की ननद है। वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादीया संख्या 1 ने अपनी ननद को भात में दिया हुआ है इसलिए उपरोक्त भूमि में प्रतिवादीया संख्या 1 का कोई हक हिस्सा शेष नहीं रहा है। प्रतिवादीया संख्या 1 जो कि वादीया की भाभी है प्रतिवादीया संख्या 2 ता 6 जो कि प्रतिवादीया संख्या 1 के पुत्र पुत्री है उपरौक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने अपनी ननद / भुआ के पक्ष में परित्याग कर चुके है इस प्रकार प्रतिवादीया संख्या 1 ता 6 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग रोही मौजा 19 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 97 / 82 के कुल खसरे 8 की कुल तादादी 1.6990 है0 भूमि में वादीया काबिज है वादीया जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विवाद कारण है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:39:17 IST
Reason: SelfAttested

वादीया ने प्रतिवादीया संख्या 1 को कई बार कहा कि वह वादीया के हक हिस्सा को स्वीकार कर लेवे तथा रोही मौजा 19 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 97 / 82 के कुल खसरे 8 की कुल तादादी 1.6990 है0 भूमि में प्रतिवादीया संख्या 1 अपना नाम कलमजन करवाकर वादीया को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

करवा दे प्रतिवादीया संख्या 1 कुछ दिन तो आजकल–आजकल करती रही आखिरकार दिनांक 01.09.2024 को बमुकाम 19 जेएसएन तहसील नोहर में साफ इन्कार हो गयी। यही विनाय मुखास्मत हैं।

अतः वादीया का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 6 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 7 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी पेश कि जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादीया के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीया ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीया की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम दर्ज है तथा वादीया प्रतिवादीया संख्या 1 की ननद है। वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादीया संख्या 1 ने अपनी ननद को भात में दिया हुआ है इसलिए उपरोक्त भूमि में प्रतिवादीया संख्या 1 का कोई हक हिस्सा शेष नहीं रहा है। प्रतिवादीया संख्या 1 जो कि वादीया की भाभी है प्रतिवादीया संख्या 2 ता 6 जो कि प्रतिवादीया संख्या 1 के पुत्र पुत्री है उपरौक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने अपनी ननद/भुआ के पक्ष में परित्याग कर चुके है इस प्रकार प्रतिवादीया संख्या 1 ता 6 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग रोही मौजा 19 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 97/82 के कुल खसरे 8 की कुल तादादी 1.6990 है0 भूमि में वादीया काबिज है वादीया जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीया के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीया का वाद डिकी फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीया ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादीया के साक्ष्य सबूतों के आधार [illegible] [illegible]हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:39:17 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर [illegible] किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 19 जेएसएन तहसील

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 97/82 के कुल खसरे 8 की कुल तादादी 1.6990 है0 भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादीया का कथन है कि उक्त वाद भूमि वादीया की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम दर्ज है तथा वादीया प्रतिवादीया संख्या 1 की ननद है। वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादीया संख्या 1 ने अपनी ननद को भात में दिया हुआ है इसलिए उपरोक्त भूमि में प्रतिवादीया संख्या 1 का कोई हक हिस्सा शेष नहीं रहा है। प्रतिवादीया संख्या 1 जो कि वादीया की भाभी है प्रतिवादीया संख्या 2 ता 6 जो कि प्रतिवादीया संख्या 1 के पुत्र पुत्री है उपरौक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने अपनी ननद/भुआ के पक्ष में परित्याग कर चुके है इस प्रकार प्रतिवादीया संख्या 1 ता 6 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग रोही मौजा 19 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 97/82 के कुल खसरे 8 की कुल तादादी 1.6990 है0 भूमि में वादीया काबिज है वादीया जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। वादीया के उक्त कथनो को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 19 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 97/82 के कुल खसरे 8 की कुल तादादी 1.6990 है0 भूमि में प्रतिवादीया संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:39:17 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर

## पर्चा डिक्री

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 927 / 2024

अनवान : –

1– शान्ति पत्नी बेगराज जाति नायक निवासी ढ़ाणी मोधूवाली तहसील नोहर ।

**–– वादीया**

**बनाम**

1– भुरी देवी पत्नी सुलतान जाति नायक निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी ।
2– मेघराज पुत्र सुलतान जाति नायक निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3– मोमन पुत्र सुलतान जाति नायक निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4– रामेश्वरी पुत्री सुलतान जाति नायक निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी।
5– बादो पुत्री सुलतान जाति नायक निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
6– सरबती पुत्री सुलतान जाति नायक निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
7– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

**–– प्रतिवादीगण**

**वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**
**राजस्व वाद संख्या 927 सन 2024 निर्णय दिनांक** – 26/12/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 19 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 97 / 82 के कुल खसरे 8 की कुल तादादी 1.6990 है0 भूमि में प्रतिवादीया संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/12/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:39:17 IST
Reason: SelfAttested